भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5628

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

सार्वजनिक जमाराशि के लिए बीमा कवर

5628. श्री पी.के. बिजूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों द्वारा एकत्रित सार्वजनिक जमाराशियों के लिए बीमा कवर को अनिवार्य करने का है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा निवेशकों को धनराशि संग्रहित करने वाली धोखाधड़ीपूर्ण योजना से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 73(2) के अनुसार प्रत्येक कंपनी जो जमाएं आमंत्रित करती है, वह परिपत्र या विज्ञापन या नवीनीकरण जैसा भी मामला हो, जारी करने के कम से कम 30 दिन पहले जमा बीमा उपलब्ध कराने के लिए करार करेगी। हालांकि ऐसे जमा बीमा उत्पादों की अनुपलब्धता के मद्देनजर कंपनियों को नियम 5(1) के परंतुक के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक बिना जमा बीमा के जमा राशि उगाहने की अनुमति दी गई थी।

ऊपर उल्लिखित नियमों के नियम 2 के साथ पठित इस अधिनियम में 'जमा' शब्द को विशिष्ट अपवादों के साथ समग्र रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके कारण राशियों की प्राप्तियों, चाहे किसी भी नाम से ली जाए, और निवेशकों को कपटपूर्ण ढंग से राशि एकत्रित करने वाली योजनाएं चलाने वालों से बचाने के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम और उपरोक्त जमा नियमो में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, जमा की स्वीकृति को जनता की बजाय निर्धारित सीमा से अधिक निवल मूल्य या टर्नओवर वाली पबल्कि कंपनी तक ही सीमित करने, विज्ञापन जारी करने के लिए मानक निर्धारित करने, जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग, प्रतिभूति सृजन, जमाकर्ताओं के न्यासी की नियुक्ति और उनके कर्तव्य, उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड आदि का प्रावधान है।

*****